1

TWENTY RUPEES

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

वर्श–2014

नि.प्र.क. रिव्यू 4292 पीबीआर/2014 बालाघाट

श्रीमती पार्वतीबाई पति जयशंकर झरने जाति–कसार आयु लगभग 54 वर्ष निवासी वार्ड नं 12 वारासिवनी तह. वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र.......आवेदिका

//विरूद्ध//

1. श्रीमती रामबाई पत्नी बिहारीलाल पण्डोरिया, जाति–कसार, आयु लगभग 60 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 वारासिवनी, तह. वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र.
2. श्रीमती मीनाबाई पति तुलसीराम निवासी सेक्टर नं. 1, भिलाई (छ.ग.)
3. रमेश पिता दमणु साव निवासी भण्डारा के उत्तराधिकारी

अ/ श्रीमती छाया पत्नी अनिल सा. ग्राम चिंचली गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर म.प्र.

ब/भोलाप्रसाद पिता रमेश सा. मुरदाड़ा तह. गोंदिया जिला गोंदिया (महा.)

स/ संजू पिता रमेश सा. मुरदाड़ा तह. गोंदिया जिला गोंदिया (महा.)

द/ कु. शोभा पुत्री रमेश सा. मुरदाड़ा तह. गोंदिया जिला गोंदिया (महा.)...अनावेदकगण

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

पुनर्विलोकनकर्ती/प्रार्थी/श्रीमती पार्वतीबाई निम्नानुसार निवेदन करती है :–

1/ यह कि श्रीमानजी के न्यायालय में आनावेदिका क्र0 1 श्रीम रामबाई के द्वारा आवेदिका पार्वतीबाई तथा अनावेदक क्र0 2 से 3 के विरू याचिका/निगरानी प्रकरण अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के नि.प्र.व 366/अ–6/95–96 पक्षकार पार्वतीबाई विरूद्ध रामबाई व अन्य में पारित आदेश दिनां 24/05/2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी। उक्त याचका में अनावेदिका क्र0 1 के द्वा आवेदिका/प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान ना करते हुए, ना समंस की प्रति ही तामीली भी करवाकर माननीय न्यायालय को भ्रमित करते हुए प्रार्थी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही करवाते हुए उक्त याचिका में एकपक्षीय आदे दिनांक 06/08/2014 को पारित करवा लिया गया है, जिसके विरूद्ध यह पुनर्विलोव याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2/ यह कि श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/08/201 के अनुसार अनावेदिका क्र0 1 के द्वारा नामांतरण की कार्यवाही हेतु न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वारासिवनी के न्यायालय में आवेदन पत्र के साथ उक्त आदेश दिनांव 06/08/2014 की प्रति प्रस्तुत करने के कारण प्रार्थी को उक्त आदेष की जानकारी मिल ही जानकारी मिलते ही प्रार्थी के द्वारा वांछित दस्तावेज प्राप्त कर अविलंब श्रीमान के न्यायालय में न्यायोचित आधारों पर पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की है।

3/ यह कि अनावेदिका क्र 1 रामबाई के द्वारा न्यायालय को वास्तवि बातों से अवगत ना कराते हुए जानबूझ कर वास्तविकता को छिपाते हुए केवल मात्र व्यव न्यायालय श्रीमती सुमन उइके व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 वारासिवनी के न्यायालय के वाद क्र. 40अ/2008 पार्वतीबाई विरूद्ध रामबाई व अन्य में पारित निर्णय दिन 23/02/2011 का हवाला देकर भ्रमित किया गया है। वास्तव में उक्त आदेश के विर

पार्वती झरने

Rn

(39)

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण कमांक – रिव्यू 4292–दो/14 जिला – बालाघाट

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05–01–2016 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1032–दो/11 में पारित आदेश दिनांक 06–8–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।<br>2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । आवेदक का यह कहना है कि उसे सुना नहीं गया इस संबंध में अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदक को (मूल निगरानी प्रकरण में अनावेदक) को उपस्थित न होने के कारण उसे एवं अन्य अनावेदकों को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी गई थी किंतु फिर भी वे उपस्थित नहीं हुये इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में कार्यवाही जारी रखी गई और अनावेदक ( मूल प्रकरण में आवेदक ) के अतिरिक्त के तर्क सुने जाकर आदेश पारित किया गया है । यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि मूल प्रकरण में आवेदक अनावेदक श्रीमती रामबाई थी जिसकी निगरानी निरस्त की गई है तथा प्रकरण अपर आयुक्त के आदेश के अनुसार विधिवत निराकरण हेतु विचारण न्याालय को प्रत्यावर्तित किया गया है साथ ही व्यवहार न्यायालय के आदेश का उल्लेख आने पर यह निर्देश दिए गए हैं कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने पर तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाये । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिस कारण आलोच्य आदेश | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | आदेश का पुनरावलोकन आवश्यक हो । वैसे भी निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–<br>1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी.<br>2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती.<br>3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता । इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 6–8–14 के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र किया जाये । उभयपक्ष सूचित हों ।<br>सदस्य | |